

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 445]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020 — आश्विन 6, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2020

क्रमांक 7291/डी.148/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 15 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)
अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 6-ख का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 6-ख में, शब्द “प्रतिमाह दस हजार रुपये” के स्थान पर, शब्द “अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किया जाये.
- अनुसूची का संशोधन. 3. मूल अधिनियम में, अनुसूची में, सरल क्रमांक 6, 7 एवं 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“6.	धारा 5-क (1)	सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा बोर्डिंग सहित.	रुपये 8,00,000 प्रतिवर्ष
7.	धारा 5-क (2)	भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा बोर्डिंग सहित.	रुपये 4,00,000 प्रतिवर्ष
8.	धारा 6-क (1)	पेंशन	रुपये 35,000 प्रतिमास
8 क.	धारा 6-ख	किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी, यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से पेंशन दी जायेगी.	रुपये 25,000 प्रतिमास”

अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2020

क्रमांक 7291/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./20.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 24-9-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 15 of 2020)

**THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA
PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-----|--|-------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called The Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020. | Short title and commencement. |
| | (2) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | In the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 6-B, for the words “ rupees ten thousand per mensem ”, the words “ as specified in the Schedule ” shall be substituted. | Amendment of Section 6-B. |
| 3. | | In the Principal Act, in Schedule, for serial number 6, 7 and 8 and entries relating thereto, the following shall be substituted, respectively, namely :- | Amendment of Schedule. |

(1)	(2)	(3)	(4)
“6.	Section 5-A (1)	Rail and Air Travel for Members with Boarding.	Rupees 8,00,000 per year
7.	Section 5-A (2)	Rail and Air Travel for ex-members with Boarding.	Rupees 4,00,000 per year
8.	Section 6-A (1)	Pension	Rupees 35,000 per mensem
8 A.	Section 6-B	There shall be paid a pension to the spouse, if any for life or to a dependent of a member or ex-member for a period of fifteen years from the date of death of the member.	Rupees 25,000 per mensem.”